भारतीय मजदूर संघ

महामन्त्री की रिपोर्ट

१९ और २० अप्रैल, १९७५ को अमृतसर में हुए चौथे अखिल भारतीय द्विवार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत

आदरणीय अध्यक्ष और प्रिय प्रतिनिधि, बन्धुओं

प्रारम्भ में भारतीय मजदूर संघ उन लोगों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जो विचारणीय अवधि के दौरान, हमसे बिछुड़ गए। मजदूर संघ क्षेत्र ने अपने कई निष्ठावान कार्यकर्ताओं को खो दिया, जैसे सर्वश्री सतीश लुम्बा, एस० आर० बसावड़ा, आबिदअली, हेमन्त देशमुख, इन्दुलाल याज्ञिक, श्रीमती अनुसुय्याबेन साराभाई, रामानन्द दास, वसन्त कुलकर्णी, दीवान चमनलाल और के० जी० बोस।

राष्ट्रीय मंच पर हमने सर्वश्री प्रेमनाथ जी डोगरा, मोहनकुमार मंगलम, सरदार गुरनामसिंह, बख्शी गुलाम मोहम्मद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दयानन्द बान्दोडकर, बरकतउल्ला खान, "माँ", श्रीमती सुचेता कृपलानी, वी० के कृष्णमेनन, डी० संजीवैया, चारू मजूमदार, बाबा साहब आप्टे, नाना पालकर, भइयाजी शाहदानी, और श्रीमती बूजी जैसी महान हस्तियों को खो दिया।

राष्ट्र को जो सबसे महान क्षति इस अवधि में हुई, वह था आदरणीय श्री गुरू जी का महानिर्वाण जो राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठनों तथा आन्दोलनों के लिए मार्गदर्शक और दार्शनिक थे।

जहां तक भारतीय मजदूर संघ का सवाल है, मृत्यु के निर्मम हाथों ने हमारे कुछ अन्यतम सहयोगियों को हम से छीन लिया है। इनमें से प्रमुख हैं, (१)श्रीरामस्वरूप विद्यार्थी, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश भारतीय मजदूर संघ और मध्यरेलवे कर्मचारी संघ, (२) श्री चाँद रतन आचार्य, महासचिव, राजस्थान राज्य बी० एम० एस० (३) श्री वसन्त करमरकर, संगठन सचिव, बीमा कर्मचारी राष्ट्रीय संघ और (४) श्री गंगाधर नायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य बी. एम. एस.। इन सभी लोगों की मृत्यु कार्यकाल में ही हुई। बी. एम. एस में उनका योगदान अमूल्य था और मजदूर क्षेत्र तथा बी. एम. एस इन राष्ट्रनिर्माता मजदूर संघवादी लोगों के चले जाने के बाद वैसा कभी नहीं हो सकेगा, जैसा पहले था। भारतीय मजदूर संघ भारी हृदय से इन सभी लोगों की पवित्र स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने भारत माता के उल्लेखनीय सेवक का दर्जा प्राप्त कर लिया था।

हम सब के लिए यह बहुत ही सन्तोष की बात है कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री बी० के० मुखर्जी ने पक्षाघात के भयंकर प्रहार को सफलतापूर्वक झेल लिया और इसे तथा अन्य तकलीफों को भी उन्होंने अपनी चारित्रिक इच्छाशक्ति की दृढ़ता के कारण ही बर्दाश्त किया। वे जुलाई, १९७२ की दस तारीख से बीमार रहते हुए भी उसी तत्परता और ताजगी के साथ बी. एम. एस की गतिविधिओं का निर्देशन करते रहे। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी पूर्ण स्वस्थ हों।

संगठनात्मक प्रगति

पिछली बार हम लोग बम्बई में २२ और २३ मई सन् १९७२ को मिले थे। उसके बाद की अवधि में विभिन्न राज्यों और उद्योगों में बी. एम. एस की काफी प्रगति हुई। १-१-७२ को बी. एम. एस की सम्बद्ध संस्थाओं की संख्या १२११ थी और इसकी कुल सदस्यता लगभग छः लाख थी। १-१-७५ को यह आंकड़ें १३१३ ओर ८ लाख ४० हजार हो गये। (राज्यवार विवरण परिशिष्ट 'ए' में दिया हुआ है।। इसके राष्ट्रीय औद्योगिक फेडरेशनों की संख्या ११ से बढ़कर १४ हो गयी। (परिशिष्ट बी)

इस अवधि में बी एम एस को जम्मु और कश्मीर में राज्य स्तर की मान्यता मिल गयी, प्रेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल में राज्य श्रम-सलाहकार बोर्ड में निमन्त्रित किया गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र और कर्नाटक में नवनिर्मित समितियों में और अधिक प्रतिनिधित्व मिला। उड़ीसा और गुजरात में राज्य की न्यूनतम वेतन समितियों में प्रतिनिधित्व दिया गया। दिसम्बर १९७३ और फरवरी १९७२ में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक सम्बन्ध गोष्ठियों में शामिल किया गया ; २० अगस्त, १९७३ को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और मजदूर संघ आन्दोलन की गोष्ठियों में निर्मित संचालन ग्रुप में प्रतिनिधित्व दिया गया और अगस्त १९७४ में कोयला खान के बारे में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद समिति में भी प्रतिनिधित्व दिया गया; अन्तर्राट्रीय श्रम संगठन की एशियायी क्षेत्रीय गोष्ठी में जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम स्तर के बारे में अक्तूबर—नवम्बर १९७४ में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, प्रेक्षक के रूप में निमन्त्रित किया गया। उसने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनमें हिस्सा लिया :—(१) फरवरी २२, १९७३ को राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में कर्मचारियो के भाग लेने सम्बन्धी गोष्ठी (२) अप्रैल १९७४ में श्रम और आबादी

नीतियों सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी (३) नवम्बर १९७४ में मजदूर संघ के शिक्षा अधिकारियों के लिये कर्मचारियों की आबादी सम्बन्धी शिक्षा और कार्यशाला तथा (४) दिसम्बर १९७४ में, नई दिल्ली में मजदूर संघ नेताओं के लिए पहले विकास कार्यक्रम के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गोष्ठी और (५) दिसम्बर २, ३, १९७४ को कलकत्ता में न्यूनतम वेतन सम्बन्धी आई० एल० ओ० की गोष्ठी (परिशिष्ट सी) जुलाई १९७२ में सीमेन्ट उद्योग में भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्द्ध संस्था को त्रिपक्षीय वार्ता के लिए निमन्त्रित किया गया, १९७३ में भारतीय विद्युत मजदूर संघ, बिजली के बारे में त्रिपक्षीय गोष्ठी में हिस्सा लेने वाला एक पक्ष था। बीमा कर्मचारियों का राष्ट्रीय संगठन संयुक्त मोर्चे में भी ए० आई० आई० ई.ए. के साथ था, और एल.आई. सी के साथ २२ जनवरी, १९७४ को संयुक्त मोर्चा बनाने सम्बन्धी वार्ता में इसने भाग लिया। ३ अप्रैल १९७४ को बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन को श्रम मन्त्रालय ने बातचीत के लिये निमन्त्रित किया, हालांकि अधिक दबाव के कारण बाद में यह प्रयास छोड़ देना पड़ा। ११ अप्रैल को बी. एम. एस और बी. आर. एम. एस को श्रम मन्त्रालय ने रेल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिये निमन्त्रित किया। भारतीय रेलवे मजदूर संघ, रेल कर्मचारियों के संघर्ष के लिये राष्ट्रीय सहयोग समिति का एक अंग था और इसी वजह से अप्रैल १९७४ में रेल मन्त्रालय के साथ बातचीत में और मई १९७४ में रेल हड़ताल में भी यह शामिल रहा। भारतीय मजदूर संघ पटसन कर्मचारी फैडरेशन, फरवरी १९७५ में पटसन हड़ताल के लिये पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चे का एक सदस्य बन गया और राज्य तथा केन्द्रीय दोनों स्तरों पर इसे मान्यता मिल गयी। बी. एम. एस की महाराष्ट्र और चण्डीगढ़ शाखाओं ने अपने अपने इलाकों में लगातार संयुक्त कृति समिति में नेतृत्व बनाये रखा है। बी. एम. एस ने २८ अगस्त, १९७४ को दिल्लीमें श्रम संगठन के सी. डी. एस. विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया और बाद में सम्मेलन द्वारा गठित राष्ट्रीय अभियान समिति का सदस्य बन गया। बम्बई अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि १९७२- का वर्ष, संगठन के लिये "असंरक्षित श्रम वर्ष" और आन्दोलन के लिए 'बोनस वर्ष' के रूप में मनाया जाए। बी.एम. एस ने देश भर में बोनस के मामले पर मजदूरों को संगठित करने में पहल की और दूसरे मोर्चे पर इसने अन्य चीजों के साथ-साथ अमृतसर, बटाला और बम्बई में प्राइवेट कार चालकों को, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में और महाराष्ट्र में कृषि मजदूरों को, महाराष्ट्र में बुनकर मजदूरों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वन मजदूरों को, कानपुर, देहरादून, गुड़गाँवा और चण्डीगढ़ में दर्जी कर्मचारियों को, दिल्ली में घरेलू नौकरों को, कोचीन में निर्माण ठेकेदारों के मजदूरों को, दिल्ली में दूतावासों के

कर्मचारियों तथा समाज कल्याण संगठनों के कर्मचारियों को, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में फार्मेसिस्टों और कम्पाउन्डरों को, कालीकट में जहाजी कर्मचारियों को, पालघाट में वढ़ईयों को, कोचीन में चुने के भट्टों में काम करने वाले कर्मचारियों को और बम्बई में पुलिस अस्पताल के कर्मचारियों को संगठित किया।

श्रम मंच :

१९७२ का वर्ष इन्टक में राष्ट्रीय स्तर पर अब तक के पहले विघटन की पूर्णता के लिए मजदूर संघ के इतिहास में महत्वपूर्ण वर्ष माना जायेगा। इसके बाद जो राष्ट्रीय श्रम संगठन बना, वह गांधीवादी विचारधारा के काफी समीप मालुम पड़ता है, हालांकि इसकी वर्गीकरण की क्षमता की अभी विभिन्न स्थितियों और विशेष अवधि में जांच की जानी है। एच.एम. पी के केन्द्रीय नेताओं ने बार बार एच.एम. एस में शामिल होने की और फिर उससे अलग होने की घोषणा की। संगठनात्मक रूप से एच. एम. पी ने कोई प्रगति नहीं की। कलकत्ता में दिसम्बर १९७४ में अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में एच. एम. एस विघटन से बच गया। ए. आई.टी. यू सी और सी.आई.टी. यू के बीच रस्साकसी से मजदूर क्षेत्र में कम्युनिष्ट ताकतों को संगठित होने में मदद नहीं मिली है। सत्ताधारी दल के साथ सम्बन्ध होने के कारण ए. आई. टी.यू. सी ने समिति भवनों और अखबार के पन्नों में कुछ शाही दर्जा प्राप्त कर लिया है लेकिन कार्यक्षेत्र में उन्हें काफी नुकसान हुआ है। सी. आई. टी. यू विभिन्न राज्यों में विस्तार के लिये काफी प्रयास करता रहा है। और हालांकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कारणों से इसे कुछ धक्का लगा, फिर भी इसने कुछ राज्यों में अच्छी प्रगति करली है तथा विभिन्न केन्द्रों में धीरे धीरे संगठन-निर्माण के कार्यक्रमों में जुटा हुआ है। लेकिन इसने रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन बनाने का प्रयास छोड़ दिया है। दोनों यू. टी. यू सी अपनी अपनीं क्षमता के अनुपात में पहले की तरह ही मजदूरों की सेवा में जुटे हुए हैं। डी. एम. के के नेतृत्व वाले प्रगतिशील मजदूर फेडरेशन की शक्ति और साख लगातार घटती जा रही है। इण्डियन फेडरेशन आफ इन्डिपेन्डेन्ट ट्रेड यूनियन के मामले में भी यही हुआ है। फारवर्ड बलाक या एस.यू. सी आदि जैसी वाम पक्षीय पार्टियो द्वारा संरक्षित विभिन्न मजदूर संघ फेडरेशनों अथवा राष्ट्रीय मोर्चों की प्रगति या ह्रास के बारे में कोई निर्णय देना जोखिम की बात होगी। पश्चिमबंगाल की बदलती हुई स्थिति में भी बड़े आराम से यह कहा जा सकता है कि किसी भी विचारधारा की प्रगति में गरीबी और दुर्बलता के मुकाबले शक्ति या अधूरी समृद्धि ज्यादा हानिकारक हो सकती है। रिपबलिकन पार्टी आफ इंडिया, अपनी मजदूर संघ में अपने राजनीतिक समर्थकों के एक हजारवे हिस्से को भी शामिल नहीं कर सका

क्योंकि इसके पास मजदूर संघ कार्यकर्ताओं की पर्याप्त कमी थी। पंजाब में अकाली पार्टी के मजदूर दल के पास बहुत सारे सदस्य थे, जिन्हें संगठित करना था। किसान मजदूर पार्टी की मजदूर संघ शाखा की शक्ति खत्म होती जा रही हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में समिति सर्व श्रमिक संघ ने ग्रामीण इलाकों में सफलता पूर्वक अपने प्रभाव का विस्तार किया। मुस्लिम लीग के स्वतन्त्र मजदूर संघ या तो ढीले पड़ते जा रहे हैं या पीछे हटते जा रहे हैं। जम्मु और कश्मीर वस्तुतः स्वतन्त्र केन्द्रीय मजदूर संघ में जड़ता बनी हुई है। तत्कालीन स्वतन्त्र ने स्वतन्त्र और जिम्मेदार मजदूर संघों को समन्वित करने के लिए एक केन्द्र बनाने का जो प्रयास किया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। मजदूर क्षेत्र में गिरजाघरों के प्रभाव में कुछ वृद्धि हुई है जो अधिकांशतः इसकी गैर मजदूर संघ गतिविधियों और सामाजिक सेवा के कारण ही हुई। आइ.एन.टी.यू.सी., बी.एम. एस. ओर सी. आई. टी. यू ने इस अवधि में कृषि मजदूरों को संगठित करने का क्रमवार प्रयास शुरू किया। शिल्प संघ और वर्गवार संघों की संख्या में काफी वृद्धि हुई हैं।

२१ मई, १९७२ को मजदूर संघों की एक राष्ट्रीय परिषद बनायी गयी, जिसमें आई. एन. टी. यू. सी., एच.एम.एस. और ए. आई. टी. यू. सी. के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके बाद एक प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त परिषद बनायी गयी, जिसमें सी आई. टी. यू, एच. एम. पी, यू. टी. यू. सी. आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। (अब यह दोनों परिषदें भंग हो गयी हैं)

इस अवधि के दौरान ए. आई. आई. ई. ए, एन. एफ. पी. टी. ई, श्रमजीवी पत्रकारों, आयकर कर्मचारियों, केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारियों और आई एन टी यू. सी. की कुछ प्रादेशिक शाखाओं में विभाजन की भावना और गहरी हो गयी। ए. आई. आर. एफ. में जार्ज फर्नान्डीस के पक्ष और विपक्ष वाले गुटों में भी टकराव हुआ। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ में भी, जिसने सितम्बर १९६८ में संयुक्त संघर्ष किया था, दरार पड़ गयी।

यह ध्यान देने की बात है कि असंगठित कर्मचारियों की संख्या संगठित मजदूरों की संख्या से काफी अधिक है और अगर नए सिरे से पता लगाया जाए तो यह मालुम होगा कि गैर मान्यता प्राप्त और स्वतन्त्र मजदूर संघों की कुल संख्या किसी भी एक केन्द्रीय श्रम संगठन की सदस्य संख्या से काफी अधिक है। नवनिर्मित संगठनों की यह भावना बढ़ती जा रही है कि वे निष्पक्ष रहें, ताकि जरुरत पड़ने पर वे सभी का अथवा सी. एल. ओ. में से किसी एक का समर्थन प्राप्त कर सके।

इन असम्बद्ध संगठन विभिन्न व्यक्तियो के इर्द गिर्द ही सीमित रहते हैं। ऐसे दलों में से सबसे बड़े दल बम्बई में श्री आर० जे० मेहता के नेतृत्व में, गुण्डागर्दी और आतंकवाद को रोकने में कुछ उत्कृष्ट काम किया है ।

औद्योगिक सम्बन्ध :

बी. एच. ई. एल, एच. एम टी, एच ए एल, बी ई एल, जैसे कुछ उद्योगों में राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय समझौता वार्ता में भाग लेने, और विभिन्न उद्योगों में हड़तालों, तालाबन्दीयों, नियमानुसार काम करने अथवा सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेने, घेराव, बन्द, छटनी, तालाबन्दी आदि के साथ साथ इस अवधि में जो महत्वपूर्ण घटनाए हुई, वे हैं : आम बीमा, कोंकिग कोल, कोयला खान और १०३ कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण, गेहूं के थोक व्यापार को सरकारी नियन्त्रण में लेना और बाद में इस नीतिकों छोड़ देना, जून १९७२ में इसके स्वचलन के बारे में विशेषज्ञ समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट, २ अप्रैल, १९७३ को तीसरे वेतन आयोग की अन्तिम रिपोर्ट, १२ सितम्बर १९७२ बोनस समिति की अन्तरिम रिपोर्ट और ३० सितम्बर १९७४ को इसकी अन्तिम रिपोर्ट, मई १९७३ को बेरोजगारी के बारे में भगवती समिति की रिपोर्ट, २३ सितम्बर, १९७२ को एक आध्यादेश जिसमें न्यूनतम बोनस बृद्धि को कार्यरूप देना, ग्रेच्यूटीभुगतान कानून बनाना, एडीशनल एमाल्यूमेन्ट कम्पलसरी डिपोजिट कानून १९७४, और राष्ट्रीय श्रम आयोग की सर्वसम्मत सिफारिशों को भी भारत सरकार द्वारा लागू न करना है ।

जहाँ तक औद्योगिक सम्बन्धों का सवाल है, यह अवधि सुरक्षित, अधिक व्यापक और विभिन्न उद्योगों में सुरक्षा के बारे में बराबर संघर्ष करने की अवधि रही । सीमेन्ट कर्मचारियों, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और रेल कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़तालें, लोको कर्मचारियों, गार्डों तथा केरल, त्रिपुरा और बिहार के सरकारी कर्मचारियों की हड़तालें, इण्डियन एअर लाइन्स, जीवन बीमा निगम, एअर इण्डिया, इस्पात, कोयला, तथा केरल और तामिलनाडु के कृषि मजदूरों, इंजीनियरी, पटसन, सूती कपड़ा मिल, सड़कपरिवहन, बागान, नारियल जटा और काजू कर्मचारियों की हड़तालें तथा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में मजदूर संघों के संयुक्त मोर्चों के बन्द—यह सारी बातें इस अवधि के दौरान हुए महत्वपूर्ण संघर्षों के कुछ नमूने है ।

इस अवधि की विशेष बात है कि शिक्षकों, प्रोफेसरों, डाक्टरों, इन्जीनियरों, बैंक अधिकारियों आदि के हड़ताल के प्रयत्न । अधिकारियों द्वारा आपात स्थिति का दुरुपयोग, भारत रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन खुल कर मजदूर

संघ नेताओं की गिरफ्तारी, धारा १४४ तथा कर्फ्यू लगाना, पुलिस की ज्यादतियां, एवं शान्तिपूर्ण कर्मचारियों के विरुद्ध सी. आर. पी; बी. एस. एफ, प्रादेशिक सेना आदि की लामबन्दी - इन सारी दमन कार्रवाइयों से बिना शक यह साबित होता है कि सरकार तथा अन्य मालिक, लोकतन्त्र के नियमों का पालन करने को तैयार नहीं थे - इस अवधि की एक विचित्र बात यह थी कि मालिकों द्वारा तालाबन्दी की घोषणा से हड़तलों से हुई हानि की अपेक्षा बहुत अधिक जन-दिवसों की हानि हुई। इनमें सरकार और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। इस अवधि में आदेशों और समझौतों को लागू करने में अनिच्छा की प्रवृत्ति बढ़ी और "कुछ आवश्यक प्रबन्ध कार्यों" के नाम पर निरंकुशता में भी पर्याप्त बृद्धि हुई। प्रबन्धकों की निर्दयता के कारण कार्यभार बढ़ा सुरक्षा नियमों में कमी आयी, दुर्घटना की दर में बृद्धि हुई और कुल मिला कर घायलों की संख्या बढ़ती गयी। सम्भवत: केवल बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल को छोड़ कर, जो अपने आप में भी एक वर्ग है, इस अवधि के कर्मचारियों के संघर्ष का पूरा इतिहास अलोकतन्त्री दमन की निर्बाध कहानी हैं। अगर एक पक्ष लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को मानना नहीं चाहता है तो दूसरे पक्ष के पास इससे निपटने के बहुत से उपाय नहीं रहते।

इसी अवधि में विदेशी तथा देशी एकाधिकार को पर्याप्त रूप से नयी रियायतें दी गयीं जो नयी औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अधीन लागू की गयी।

अब तक अधिकारी वर्ग ही दृढ़ता से कर्त्ताधर्त्ता बन गया। नौकरशाही का पूंजीवाद सरकारी क्षेत्र में बढ़ता गया और अब यह सारी अर्थव्यवस्था पर छा गया है। सत्ताधारी दल ने पांचवी पंचवर्षीय योजना का मजाक बना दिया है और अस्थायित्व के नाम पर सरकारी नीतियां दिशाहीन हो गयी है। कोई भी आर्थिक निर्णय पूर्णतह राजनीतिक आधार पर लिया जाता हैं। आर्थिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ, निर्णय का मुख्य आधार बन गया है।

बी. एम. एस. का रवैया :

विचारणीय अवधि के दौरान बी. एम. एस. ने बोनस समीक्षा समिति, बेरोजगारी के बारे में विशेषज्ञों की समिति कर्मचारियों की शिक्षा समीक्षा समिति तथा तीसरे वेतन आयोग में अपनी सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किए और गवाही दी।

बम्बई अधिवेशन के बाद बी. एम. एस. की सर्वोच्च परिषद की १२-१३ मई १९७३ को ग्वालियर में बैठक हुई। केन्द्रीय कार्यकारिणी ने आठ बार विचार विमर्श किया। (देखिए परिशिष्ट डी)। विभिन्न केन्द्रों पर स्थानीय और औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा हम लोगों ने दिसम्बर १९७२ में कुरुक्षेत्र में, सितम्बर १९७३ में कानपुर में, फरवरी १९७४ में पंचगनी में और जनवरी,

१९७५ में पालघाट में क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। दिसम्बर १९७४ में बैंक प्रबन्ध के राष्ट्रीय संस्थान की मदद से महाबलेश्वर में एन ओ बी डब्लू के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

राज्य शाखाओं और राष्ट्रीय औद्योगिक फेडरेशनों ने अपनी कार्यकारिणी और आम परिषद की बैठकें अपने संविधान के अनुसार बुलायी।

विचारणीय अवधि के दौरान पास किए गए प्रस्तावों तथा विभिन्न अवसरों पर जारी किए गए वक्तव्यों के जरिए बी. एम. एस. ने उपभोक्ता-विरोधी वार्षिक बजट और केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर पास किए गए श्रम-विरोधी कानूनों की निन्दा की तथा विभिन्न उद्योगों में मजदूरों के विभिन्न संघर्षों के प्रति एकता प्रकट की। आर्थिक क्षेत्र में बाढ़, सूखा, मानसून के प्रकोप, बांगला देश से शरणार्थियों के आगमन, विश्वव्यापी मुद्रा स्फीति, अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट, आबादी के विस्तार, और कथित 'कमी' तथा 'मन्दी' का बहाना लेकर सरकार की असफलता को छिपाने वाली नीति का पर्दाफाश किया और अन्य बातों के साथ साथ मांग की कि १० मई १९७४ को जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल की, तथा जिन हड़तालो रेल कर्मचारियों को दंडित किया गया, वह वापस लिया जाए ; केन्द्रीय कर्मचारियो को मंहगाई भत्ते की किस्तें, जो रोक रखी गयी हैं, वह दी जाएं और उनके वेतन में संशोधन किया जाए, क्योंकि मूल्य सूचांक २७२ के अंक को पार कर गया है। सरकार ने जिन रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया है, उनके कर्मचारियों की सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए और कपड़ा उद्योग में जो कानून बनाए गए हैं, अथवा जो समझौते हुए हैं, या जो निर्णय दिए गए हैं, उन्हें इन रुग्ण इकाइयों के लिए लागू किया जाय; बोनस, ग्रेचुएटी, ई. एस. आई., परिवार पेन्शन योजना, आदि से सम्बन्धित कानून में समुचित संशोधन किया जाय।

अनाज तथा कपड़ा, खाने के तेल, चीनी, मछली मिट्टी के तेल, ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की जाए, जिसका निरीक्षण जन समितियां करें ताकि इन वस्तुओं की निरन्तर सप्लाई बनी रहे और (कम से कम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आधा किलो अनाज मिल सके) यह अच्छे किस्म की हों और सस्ते दाम पर हों। सभी क्षेत्रों में मालिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी वितरण व्यवस्था अपनाएंगे।

सभी कर्मचारियों को पूरा मुआवजा दिया जाए, जिनमें वे प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, जहां ५० से कम कर्मचारी हैं, और जिन्हें बिजली की कटौती अथवा बिजली की कमी से नुकसान हो रहा है। वर्तमान स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए और उत्पादन बढ़ाने में आने वाली रुकावटें दूर की जाएं। विभिन्न उद्योगों में आकस्मिक, अस्थाई, और बदली कर्मचारियों की समुचित पुष्टि की जाए। महाराष्ट्र मथाडी, हमाल और अन्य श्रमिक कानून के आधार पर असुरक्षित मजदूरों की सुरक्षा के लिए हर राज्य में कानून बनाया जाय ; सहकारी क्षेत्र में कर्मचारियों के औद्योगिक विवादों सम्बन्धी कानून को पूरा संरक्षण दिया जाय; ऐसा औद्योगिक सम्बन्ध कानून बनाया जाए, जिसमें किसी मजदूर संघ को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता देने की व्यवस्था हो। हर उद्योग में समानुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर बीच बचाव करने वाली सुगठित एजेन्सियां बनायी जाएं। "वर्क मैन" की परिभाषा में संशोधन किया जाए, जिससे कि मैनेजर के अतिरिक्त वर्ग वाले सभी व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा सके। समझौता वार्ता की अवधि के दौरान पर्याप्त भत्ता दिया जाए। त्रिपक्षीय वेतन बोर्डों के स्थान पर द्विपक्षीय समझौतों को प्रोत्साहन दिया जाय।

राष्ट्रीय नीतियों के बारे में :

बी. एम. एस. ने यह भी मांग की कि नियोजन की विभिन्न प्रक्रियाओं में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, रोजगार उत्पादकता, मूल्य, आय, और वेतन के बारे से राष्ट्रीय नीतियाँ बनायी जाए। इनका आधार गोलमेज सम्मेलन में व्यक्त जनमत को बनाया जाए इस सम्मेलन में सभी आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व हो और इसे खासतौर से इन उद्देश्यों के लिए बुलाया जाए; संविधान में, मौलिक अधिकारों के रूप में काम करने के अधिकार की स्वीकृति, औद्योगिक मिल्कियत के आधार पर एक राष्ट्रीय आयोग का निर्माण, उद्योग के स्थान, आकार और टेकनीक पर विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति, जो देश के औद्योगिक स्वरूप के अनुकूल हो फिर से प्रारूप तैयार करें, सभी उद्योगों में प्रगतिशील श्रमिकीकरण और कपड़ा उद्योग, पटसन, परिवहन, चीनी और बीड़ी उद्योगों में पूर्ण श्रमिकीकरण के बारे में सक्रिय विचार; कर्मचारियों के राज्य बीमा, प्रावीडेन्ट फन्ड, शिक्षा आदि के प्रबन्ध को मजदूर प्रतिनिधियों के हाथों में सोपना, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के स्तर पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करना, वास्तविक वेतन का पूरा संरक्षण, इस सिद्धान्त की स्वीकृति कि जबतक वर्तमान

वेतन और वास्तविक वेतन में अन्तर है, तब तक बोनस को अतिरिक्त वेतन माना जाना और इसकी कानूनी न्यूनतम सीमा को साढ़े बारह प्रतिशत तक बढ़ाना, "सही मुद्रा" व्यवस्था लागू करना, जिससे कर्मचारियों के सभी पुनर्भुगतान और बचत को सूचकांक से सम्बन्ध किया जा सके और सूचकांक को वैज्ञानिक आधार पर फिर से निर्धारित करना जिसमें थोक और खुदरा मूल्यों के अन्तर को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाय; "सार्वजनिक प्रशासकों" का विशेष व्यवसाय बनाकर उसे कानूनी मान्यता दी जाय, और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्वायत्तता तथा उसके उत्तरदायित्व मे सन्तुलन बनाए रखा जाय ।

ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लिए बी. एम. एस. ने मांग की कि क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जाय, भूमि सुधारों के कानून को तथा सभी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन मजदूरों में फिर से बांटने की व्यवस्था को लागू किया जाय, खासकर इन्हें उन मजदूरों में बांटा जाय, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं । जब तक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन कानून लागू नहीं किया जाता है तब तक इसे सभी कृषि मजदूरों तथा देश के असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण आवास कार्यक्रमों में काम करने वाले मजदूरों पर भी लागू किया जाय, जिससे उनको लाभ हो सके. व्यापक सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों, छोटी सिंचाई और मजदूरो को प्रोत्साहन देने वाली योजनायों को ग्रामीण इलाकों में लागू किया जाय । हरित क्रान्ति से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण समृद्ध वर्ग को अनुशासित किया जाय, निःशुल्क चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएँ आबादी के हर वर्ग को दी जाएं, वन पर आधारित उद्योगों को संगठित किया जाए, वनवासी कर्मचारियों को ठेकेदारों और संरक्षकों षड़यन्त्रों से बचाया जाय, और वन-सेवाओं में वनवासियों के लाभ के लिए कुछ सुरक्षित स्थान रखे जाएं । देश भर में ऋण राहत उपायों को व्यापक ढंग से लागू किया जाय, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारों के लिए अपना धन्धा खुद शुरू करने की सुविधाएँ, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषिइंजीनियरी, डेयरी, कताई-बुनाई और बढ़ईगीरी के माध्यम से दी जाएँ । हथकरघा और बिजली करघे के बुनकरों की सस्ते मूल्य पर धागे की निरंतर सप्लाई की जाय, लघु उद्योग शुरू करने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को राजकीय सहायता दी जाय । बड़े कारखानों के आस-पास सहायक इकाइयों का विकास किया जाए और स्वचलन पर आम प्रतिबन्ध लगाया जाए । ग्रामीण क्षेत्र में साधन एकत्र करने की नीति के रूप में बी. एम. एस. ने सामूहिक बैंकिंग एजेन्सी के जरिए सूक्ष्म नियोजन व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया है ।

आर्थिक और वित्तीय अनुशासन:

कर ढांच के बारे में बी एम एस ने कहा है कि कर ढांचे को संशोधित कर इसे और आसान बनाया जाए। सभी अप्रत्यक्ष कर समाप्त किए जाएं, वेतन-भोगी वर्ग के ऊपर से कर हटा लिया जाए। आय कर की छूट की सीमा बढ़ा कर १२ हजार रुपये कर दी जाए, और श्रमबहुल उद्योगों में तैयार होने वाली निर्यात की विशेष वस्तुओं पर कर में रियायत दी जाए।

विदेशी पूंजी के बारे में विदेशी बैंकों का राष्ट्रीय करण किया जाए।

विदेशी स्वामित्व वाले सभी उद्योगों का भारतीय करण और लोकतन्त्रीकरण किया जाए।

विदेशी सहयोग के सभी समझौतो में प्रतिबन्ध वाली धाराओं को नामन्जूर कर दिया जाए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में से विदेशी पूंजी को हटाया जाए और देशभक्त प्रवासी भारतीयों को पूंजी के रूप में रुपया लगाने का अवसर देने की व्यवस्था की जाए।

कालेधन की बुराई को रोकने के लिए बी. एम. एस. ने कहा कि ऊंची कीमतों वाले नोटों का चलन बन्द किया जाए। घाटे की अर्थव्यवस्था समाप्त की जाए, प्रशासनिक व्यय में पर्याप्त कटौती की जाए, सभी अशिष्ट बेकार और भड़कीले निजी खर्चों पर उपभोक्ता-कर लगाया जाए। राज्यों की निर्धारित राशि से अधिक पैसा लेने की आदत खत्म की जाए।

राष्ट्रीय वित्तीय अनुशासन तैयार कर इसे लागू किया जाए और करों की चोरी करने वालों, काला बाजार करने वालों, मुनाफाखोरों, जमाखोरों, तस्करों, सटोरियों, मिलावट करने वालों तथा अन्य भ्रष्ट और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़े उपाय किये जाए।

सामान्य आर्थिक उपायों के रूप में बी. एम. एस. ने सुझाव दिया है कि औद्योगिक और आयात लाइसेन्स नीतियों को युक्तिसंगत बनाया जाय, आयातित विदेशी सामान की जगह देश में ही सामान तैयार करने के कार्यक्रम को पूरा प्रोत्साहन दिया जाय, छोटी बचत को बढ़ावा देकर इस राशि को औद्योगिक बिकास में लगाया जाय। ऐशोआराम की चीजें बनाने वाले उद्योगों पर रोक लगायी जाय और उपभोक्ता वस्तुओं वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। उपभोक्ता पद्धति में समुचित परिवर्तन किया जाए, स्वदेशी की भावना को पुनर्जीवित किया जाए और उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता संघर्ष और आवश्यकता हो तो उपभोक्ताओं की हड़ताल संगठित की जाए।

प्रगति की दर में वृद्धि करके राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का निश्चित अभियान चलाया जाए। ग्रामीण तथा शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए, लाभ तथा लाभांश की अधिकतम राशि तय की जाए और सभी वित्तीय अधिकरणों का विकेन्द्रीकरण किया जाए तथा भूमि में न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच जल्दी से जल्दी एकरूपता का अनुपात स्थापित किया जाए।

सरकारी नीतियों के बारे में :

अन्त में इसने सरकार तथा एकाधिकार के घरानों और विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के बीच कलुषित संगठन के विरुद्ध देश को चेतावनी दी और सभी देश-भक्तों से कहा कि वे इनके राष्ट्र विरोधी षड़यन्त्र को नाकाम करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाएं।

इसने मजदूरों को भी सरकार और मालिकों की भुलावा देने वाली चालों के विरुद्ध सावधान किया, जो भाषावाद, प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता और राजनीतिक भेदभाव आदि का सहारा लेकर पदों का निर्धारण करते हैं और झूठे प्रोपगंडे द्वारा मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच, कम वेतन पाने वाले और अधिक वेतन पान वालों के बीच, ग्रामीणों और शहरियों के बीच, असंगठित और संगठित वर्ग के कर्मचारियों के बीच, देशवासी और विदेशियों के बीच, कर्मचारी और उपभोक्ताओं के बीच, तथा न्यूनतम ३० प्रतिशत और वेतन भोगी मजदूरों के बीच भेदभाव की प्रवृत्ति ला देते हैं।

देशभक्त मजदूर संगठन के रूप में बी. एम. एस. का रवैया है कि उत्पादन बढ़ाया जाए और समान वितरण किया जाए। लेकिन सरकार द्वारा हड़ताल के अधिकार पर पाबन्दी लगाने की किसी भी कार्यवाही को यह बर्दाश्त नहीं करेगा। बी०एम०एस० ने मांग की है कि काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप मे मान्यता दी जाए। "हड़ताल का अधिकार" काम करने के अधिकार का स्वाभाविक परिणाम है। इस अधिकार पर रोक लगाना पूरी तरह अलोकतन्त्री और अधिकारवादी है इसकी बजाए औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए ऐसी उपयुक्त व्यवस्था की जाए कि हड़ताल का अधिकार अतिरिक्त हो जाय।

बी. एम. एस. ने सभी हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार कार्यपालिका के हाथों में सौंपने की व्यवस्था की आलोचना की। यह उद्योगों और सेवाओं का "आवश्यक" तथा "अनावश्यक" रूप में वर्गीकरण करने के विरुद्ध है। इसने औद्योगिक विवादों में पुलिस के हस्तक्षेप की कार्यवाई और डी. आई.

आर, मीसा, धारा १४४ आदि जैसे गैरलोकतन्त्री उपायों को लागू करने और मजदूर समस्या को कानून और व्यवस्था की समस्या मानने की आलोचना की।

बी. एम. एस. बराबर मांग करता रहा है कि "आपात कालीन स्थिति" को तत्काल समाप्त किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष :

१९७५ का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष हैं। भारत सरकार ने सद्भाव दिखाकर यह प्रस्ताव पास किया कि वह इस बर्ष समान कार्य के लिए समान वेतन देने के उपाय लागू करेगी। दरअसल यह व्यवस्था काफी पहले लागू हो जानी चाहिए थी। नवम्बर १९६९ में बी.एम.एस. ने राष्ट्रपति को एक राष्ट्रीय मांग-पत्र पेश किया था जिसमें काम करने वाली महिलाओं, काम करने वाली गृहिणियों, अंशकालिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि वैश्याओं के हित में उनकी ड्यूटियों और मांगों का ब्यौरा था। इन मांगों में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की गयी थी। कपड़ा मिलों, निर्माण कार्यक्रमों, बीड़ी, अभरक, काजू खान और बागान आदि उद्योगों में काम करने वाली महिलाएं १९४७ से ही यह मांग करती आ रही हैं। बी. एम. मस. ने सरकार से अनुरोध किया कि वह इस वर्ष महिला कर्मचारियों की ओर बी. एम. एस. द्वारा उठायी गयी सभी मांगों को मान लें मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि इस अधिवेशन में आप यह विचार करें कि काम करने वांली भारतीय महिलाओं के लाध के लिए इस वर्ष कोई विशेष योजना आरम्भ करना उचित है या नहीं ?

हमारे अनुसन्धान कार्य :

भारतीय श्रम अनुसन्धान केन्द्र इस समय जर्मनी की "लचीली कार्य अवधि" की जटिलता का अध्ययन कर रहा है, जहा काम करने के घण्टों के बारे में कोई बन्धन नहीं है और मजदूर स्वयं निश्चित करते हैं कि सवेरे कब काम शुरू किया जाय और शाम को कब खत्म किया जाए, बशर्ते उपस्थिति की न्यूनतम अवधि निर्धारित हो। यह हाल के स्वीडन के समझौते का भी अध्ययन कर रहा है, जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे अपनी कम्पनी के वित्तीय और आर्थिक मामलों में पूरी रुचि ले सकते हैं। इस बारे में भी अनुसंधानकर रहा है, (१) लेखा परीक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्भावित परिणाम (२) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सन्दर्भ में ब्याज की विभिन्न दरों की प्रभावोत्पादक होंगे।

लेकिन उपयुक्त आंकड़ों के अभाव में केन्द्र के हाथ बधे हुए हैं। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता हैं कि राष्ट्रीय लेखा के प्रकाशन में सामान्यत: असामान्य रूप से विलम्ब होता है और जब यह प्रकाशित हो जाता है तो पता लगता है कि रिजर्व बैंक से पर्याप्त सूचना के अभाव में इस पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सामान्य तौर पर आवश्यक आंकडे या तो उपलब्ध नहीं होते हैं या अगर उपलब्ध भी हुए तो पर्याप्त और आधुनिकतम नहीं होते ।

एक बात यह भी है कि सरकार अनुसंधान केन्द्रों के उचित सुझावों पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है उदाहरण के तौर पर बी. एल. आर. केन्द्र ने पहले सुझाव दिया था कि एक स्वायत्त मुद्रा अधिकरण बनाया जाए जो इस बात के लिए जिम्मेदार हो कि (१) मुद्रा नियन्त्रण के जरिए मूल्य को व्यस्थित किया जाएगा और (२) ऋण-नियन्त्रण के जरिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था की जाएगी इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस केन्द्र ने सुझाव दिया कि एक सुदूरगामी वित्तीय सलाहकार सेवा संगठित की जाए लेकिन यह सुझाव भी अरण्यरुदन की तरह बेकार साबित हुआ। अब यह बताया जाता है कि केन्द्र सरकार ने सिद्धान्त रूप में निश्चय कर लिया हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को ग्रामीण इलाकों में और शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भविष्य में, जिन इलाकों में बैंक की सुविधा नहीं है, वहां सरकारी बैंक अथवा किसान सेवा समितियां खोली जाएंगी। वास्तव में यह अपनी पुरानी नीति के निराकरण वाली बात है।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण :

कुछ अन्य केन्द्रीय मजदूर संगठनों से हट कर बी. एम. एस. ने यह आदत नहीं बनायी है कि विदेशी मामलों और विदेशी सम्बन्धों की समस्याओं पर व्यापक ढंग से टिप्पणी की जाए । बशर्ते कि मामले सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मजदूर क्षेत्र को प्रभावित न करते हों । अनाज और तेल के आयात मूल्यों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा संकट बहुराष्ट्रीय निगमों और हमारी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रति सरकारी रवैये में सोवियत संघ के प्रभाव आदि ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर बी. एम. एस. ने गम्भीरता से ध्यान दिया है।

आगे को कार्यवाही:

हालांकि संगठनात्मक ढंग से बी. एम. एस. का काम बढ़ रहा है, विभिन्न स्तरों पर संचार की व्यवस्था पहले से मजबूत हो गयी है, फिर से इसे और दृढ़

करने की जरूरत है, ताकि हम नयी चुनौतियों का पर्याप्त सतर्कता से सामना कर सकें। मूल इकाइयों से केन्द्रीय मुख्यालय को और केन्द्रीय मुख्यालय से मूल इकाइयों को खबरें भेजने की व्यवस्था में बीच के स्तरों को और ज्यादा सतर्क और तत्पर होने की जरूरत है।

अब यह समय आ गया है कि केन्द्रीय मुख्यालय से एक पत्रिका प्रकाशित की जाए, जो न केवल बी. एम. एस. की गतिविधियों का प्रचार करे, बल्कि हमारे विभिन्न वर्गों की ताजा समाचारों तथा अधिकारपूर्ण विचारधाराओं की जानकारी दे। प्रकाशनों के मामले में हमारी प्रगति सन्तोषजनक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों से यह सुझाव मिला है कि इस कार्य की देखभाल के लिए केन्द्र में एक नियमित विभाग बनाया जाय।

इसी तरह हमारे केन्द्रीय कार्यालय को और साधनों की जरूरत है। अध्ययन कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों को अधिक व्यापक बनाना होगा। विभिन्न स्तरों पर हमारे बौद्धिक वर्ग को और मजबूत करना होगा। हमारे जन सम्पर्क साधनों में अधिक प्रगति की जरूरत है।

बी.एम.एस. के कार्यों में वृद्धि के साथ साथ यह महसूस किया गया कि विकास की समस्याओं से निपटने के लिए बी. एम. एस. के संविधान में कुछ संशोधन करना जरूरी है। हमारी राजकोट की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इन संशोधनों का अनुमोदन कर दिया। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर विस्तार से विचार करें और इस अधिवेशन में इन संशोधनों के बारे में अपना अन्तिम निर्णय दें।

बी. एम. एस. की प्रगति के बारे में यह अनुमान लगाया गया था कि श्रम मन्त्रालय इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे देगा। मन्त्रालय ने जुलाई १९७२ में घोषणा की थी कि वह सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों की प्रमाणित सदस्यता के आधार पर केन्द्रीय मान्यता देने के पूरे प्रश्न पर फिर से विचार करेगा और मान्यता प्राप्त तथा गैर मान्यता प्राप्त सभी संगठनों को अपनी सदस्यता के आंकड़े देने होंगे, तथा सत्यापन कार्यों के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन, बाद में, निरीक्षण की प्रतिक्रिया को छोड़ देना पड़ा और इसका आधार यह बताया गया कि ए. आई. टी. यू. सी. और एच. एम. एस. दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों ने सत्यापन की प्रक्रिया को नामन्जूर कर दिया है और अन्य कोई भी उचित तरीका नहीं है जिससे मान्यता के प्रश्न का निर्धारण किया जा सके। प्रत्यक्षतः यह मामला पूर्ण रूप से राजनीतिक कारणों से लटका पड़ा है। न्याय का सवाल असंगत हो गया

है। फिर भी बी. एम. एस. को विश्वास है कि सरकार को हमारी बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए जल्दी ही केन्द्रीय मान्यता देने के सवाल पर विचार करना होगा। संगठनात्मक मोर्चे पर हमारे दृढ़ प्रयत्नों के कारण सरकार के लिए बी.एम.एस. को सभी राष्ट्रीय त्रिपक्षीय वार्ताओं में शामिल किये बिना देश में औद्योगिक शान्ति बनाये रखना असम्भव हो जायेगा। सरकारी मान्यता मजदूरों की मान्यता के आधार पर ही मिलेगी। श्रम मन्त्रालय भी इस तथ्य को अच्छी तरह जानती है। इसी लिए वह इन वर्षों में भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक बुलाने से कतराती रही है।

आई. एन. टी. यू. सी. से अलग के विभिन्न केन्द्रीय श्रम संगठन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रतिनिधित्व पाने के मामले में अब तक न्याय से वंचित रहे। बी एम. एस. ने निर्णय किया है कि इसके लिए वह तत्काल कोई माँग नही करेगा। बी एम एस को कार्यकारी वर्ग का विशाल समर्थन मिल जाने से, जो निश्चित ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा, सरकार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख खोए बिना यह अन्याय और पक्षपात जारी रखना मुश्किल हो जायेगा। प्रगति करने वाले और आत्म विश्वासी संगठन के लिए धैर्य एक वास्तविक गुण है।

हमने अब तक किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अथवा मजदूर संघ से सम्बन्ध बनाने के लिए भागदौड़ नही की है। इसकी बजाय हम इस बात का इन्तजार करते हैं कि यह संगठन खुद ही अनुभव करे कि हमारी मान्यता उसके लिए उपयुक्त होगी।

राष्ट्रीय मंच पर :

राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात और बिहार के आन्दोलनों ने देश के राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। सामूहिक संगठनों की नीतियों और कार्यक्रमों पर भी निश्चित रूप से इनका गतिशील असर होगा। भारत सरकार ने 'आपात स्थिति' डी. आई आर, मीसा आदि कुछ ऐसे मामलों के जरिये विपक्षी दलों पर अनुग्रह किया है, जो राजनीतिक पार्टियों और गैर राजनीतिक सामूहिक संगठनों के लिए एक चुनौती है।

आज सारा वातावरण राजनीतिक और गैर राजनीतिक आन्दोलनों से भरा हुआ है। राजनीति के मामले में बी. एम. एस. ने पहले ही अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। हम लोग अपने आपको "अर्थवाद" यानी रोटी-मक्खन की एकता तक ही सीमित रखना नही चाहते और न ही हम "राजनीतिक एकात्मवाद" को

मानते हैं, जो मजदूर संघ को किसी राजनीतिक दल का एक अंग या संभवहन पट्टी अथवा अग्रणी संगठन समझता हैं। हम सही अर्थों में मजदूर संघवाद का समर्थन करते हैं। जो राष्ट्रीयता की दृढ़ नींव पर आधारित है हम राजनीति और राष्ट्रनीति अथवा लोकनीति में भेद मानते हैं। बाद वाली चीज तब कार्यशील होती है, जब राष्ट्र के सामने विदेशी आक्रमण अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संकट के कारण जीवन और मरण का सवाल उपस्थित होता है। बी. एम. एस. राष्ट्रनीति ओर लोकनीति के लिए पूरी तरह समर्पित है, लेकिन राजनीति के लिये नही, वृहस्पति ने राजवृत्तम से लोकवृत्तम को अलग बताया है।

लोकवृत्तांद् राजवृत्तम्
अन्यदाह बृहस्पतिः।

हम पहले वाले को स्वीकारते हैं लेकिन बाद वाले को नहीं।

अपनी राजकोट की बैठक में बी. एम. एस. की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जे० पी० आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति पर विस्तार से विचार किया और निम्नलिखित अनौपचारिक निर्णय पर पहुंचा :

१— हमारे व्यक्तिगत कार्यकर्ता-सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि नागरिक के रूप में वे जो भी चाहें अपना राष्ट्रीय दायित्व समझें।

२— बी० एम० एस० इस आन्दोलन में अपने आपको शामिल नहीं करेगा।

६— स्थानीय और राज्य स्तरों पर बी. एम. एस. से सम्बद्ध संस्थाएं इस बात के लिए स्वच्छन्द हैं कि वे इस आन्दोलन के लिए अथवा अन्य कारणों से मजदूर संघों के संयुक्त मोर्चे में शामिल हों। उनका निर्णय सम्बद्ध मामलों के गुण—दोषों पर और उनके अपने स्तरों में आम स्थिति की प्रवृत्ति पर आधारित हो। अब यह इस अधिवेशन पर निर्भर करता है कि वह इस निर्णय को स्वीकार करे अथवा नामन्जूर कर दे।

संयुक्त मोर्चों के बारे में अब तक हमारी नीति रही है कि अगर सम्बद्ध मामले राष्ट्रीय हितों के ढांचे हैं मजदूरों के लिए लाभप्रद हों तो उसमें शामिल हुआ जाए और फिर अगर संयुक्त संघर्ष के बारे में सामान्य सहमति हो तब इसे अपनाया जाए। कुछ एक अपवादों को छोड़कर संयुक्त मोर्चों के बारे में हमारा अनुभव अब तक दुःखद नहीं रहा है। यह बात फिर ईस अधिवेशन पर ही निर्भर करती है कि इस नीति को जारी रखा जाय या इसे बदल दिया जाय। इस समय हम लोग आई. एन. टी. यू. सी. और ए. आई. टी. यू. सी. को छोड़, शेष सभी मजदूर संघों की राष्ट्रीय अभियान समिति के एक घटक हैं।

"समग्र क्रान्ति" के बारे में बी. एम. एस. ने अब तक कोई निश्चित रवैया नहीं अपनाया है। हालांकि समग्र क्रान्ति का समर्थन करने वालों के साथ मोटे तौरपर हमारी सहमति है, लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति के बारे में हम निश्चित नहीं हैं, कि समग्र क्रान्ति से सचमुच इसका कोई कारगर समाधान होग या नहीं ? हमारे प्राचीन इतिहास ने राजनीतिक आन्दोलन और नवजागरण देखे हैं। लेकिन उसने कोई भी इकलौती "समग्र क्रान्ति" नहीं देखी। खुद बी. एम. एस. भी राष्ट्रीय नवजागरण का एक प्रमुख अंग है। लेकिन "समग्र क्रान्ति" राष्ट्रीय नवजागरण से भिन्न है। राष्ट्र निर्माताओं के रूप में हमें पारिभाषिक शब्दावली के प्रति बहुत गलत सावधानी बरतनी है क्योंकि शब्दाबली से बुरे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि जीसस ने कहा कि "दि लेटर किलेथ।" इसीलिए हम लोग अपने राष्ट्रीय इतिहास में इस नए नाम के निश्चितार्थों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। अब यह आप पर निर्भर करता हैं कि अगर आप चाहें तो इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करें और आपका निर्णय अन्तिम तथा अनिवार्य होगा।

सही कार्य :

इस बीच एक तथ्य निश्चित और विवादों से दूर प्रतीत होता है। राष्ट्र के सामने गम्भीर संकट उपस्थित है और इसका भावुक अथवा यथार्थवादी कोई भी उपचार तब तक व्यवहारिक नहीं होगा जब तक सभी देशभक्त ताकतों को एकत्र नही किया जाए। हम यह बात राष्ट्र पर ही छोड़ देते हैं कि वह हम लोगों को हर तरीके से तेजी से इस योग्य बनाए कि उस राष्ट्र-शक्ति के हाथों में प्रभावशाली अस्त्र हों, जिसने हमें श्रम के क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा दी है और जो हमेशा से हमारे और हमारे अधिष्ठान का निर्देश केन्द्र रहा है।

इसी विचार को लेकर मै आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया संगठनात्मक पक्ष पर गम्भीरता से ध्यान दे। हमारे मानवीय और वित्तीय साधनों की प्रगति दर और हमारे संगठन की प्रगति दर में एकरूपता नहीं है: इसलिए विकास के कार्यों में कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं। यह विकास के कार्य ऐसे नहीं हैं, जिनका स्वागत न किया जा सके और जो आपकी जानकारी में न हो। यह बहुत अच्छी बात होगी कि इन कठिनाइतों को दूर करने के उपायों के बारे में हमें संगठन के मूल स्तर से सुझाव मिलें।

निःसन्देह बी. एम. एस. सन्तोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है। लेकिन तरह तरह के संकट देश को और तेजी से घेरते जा रहे हैं। आज भारतमाता आशा करती है कि उसके सभी बेटे और बेटियां पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएंगी और मां को पूरा विश्वास हैं कि राष्ट्र निर्माता होने के नाते आप आगे आएंगे और सर्वाधिक उचित ढंग से धरती माता के पवित्र कार्यों में अपने आपको फिर से समर्पित करेंगे।

दत्तोपंत ठेंगड़ी
महामन्त्री

ANNEXTURE A

Extracts from the 'BMS National Charter of Demands' pertaining to women-workers:

Women Workers

Section of types of jobs (in non-agricultural sector) for which women have special aptitude;

Vocational and technological guidance and traning to women workers;

Their progressive absorption in semi-skilled and skilled categories;

A more rational distribution of female labour force so as to reduce competition between men and women;

Strict enforcement of statutory provisions relating to women workers;

Equal pay for equal work.

Working Housewives

On the basis of the recent empirical study conducted by the Shri Ram Centre for Industrial Relations, to devise the ways and means of (i) eliminating conflict between the professional role of the housewife and her responsibilities in the family; (ii) reconciling the different expectations from her professional and domestic duties particularly towards children and husband; (iii) minimising her job-dissatisfaction; and (iv) overcoming generally the "five dimensions of stress" revealed by the study.

Recongnition by employers of the fact that working housewives constitute a special employment group and necessary adjustments regarding their working hours, work schedules, facilities for housing and transport, ete.

Suitable exitension of and qualitative improment in child-care-services, nurseries, such as, shishusadans' kinder-gartens and boarding schools or extended school days.

'Part-Time' workers

Separate; 'part-time employment avenues' wings under the Employment Exchanges for the benefit of students; house-wives, widows, unabsorbed ex-servicemen, pensioners, etc., who seek part-time jobs.

A separate piece of legislation to protect the interests aud overcome the peculiat difficulties of such 'part-time' workers.

Prostitutes

A Qualitative Reserch in the problem on the lines adopted by the Bombay State Branch of Association for Moral and Social Hygiene.

(a) The cause-wise break-up of the entries in the profession, such as, family background; emotional, social and economic aspects' broken homes' marital status; heredity; environmental influence, etc.

(b) Preventive measures at the village level; Family Service; vocational training and guidance; Lucrative occupation for widows, mothers; and economic rehabilitation of fallen women.

(c) Abolition of 'tolerated areas'.

(d) Active implementation of—

The Devadasi Law, The Child Marriage Restraint Act. The Dowry Prohidition Act, The Supression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, The Police Acts providing against soliciting in public places and controlling or prohibiting the location of brothels, and the Women" & Children's Istitutions (Licensing) Act.

(e) The After-Care Homes for Rescued Women.

Following in general the letter and spirit of the United Nations Economic and Social Council on 'the supression of the trafficking in persons and of the expliotation of the prostitution of others' 1959.

ANNEXTURE–B

ALL INDIA INDUSTRIAL FEDERATIONS AFFILIATED TO B.M.S.

No.	Name	President	Gen. Secretary	Address
1.	Akhil Bharatiya Vidyut Mazdoor Sangh	Sh. P.C. Verma M.P.	Sh. B.N. Sathey	Samadhan Kutir, N.C. Ketker Rd Ram Nagar, DOMBIWALI (Maharashtra).
2.	Bharatiya Engineering Mazdoor Sangh	Sh. B.P. Pandey	Sh. P.R. Kalusker	15, Sehkar Bhawan, Poibawdi Parel, Bombay—400012
3.	Bharatiya Gair-Shikshak Karmchari Sangh	Sh. Bhau Rao Vaidya	Sh. Ram Naresh Singh	2. Navin Market, Kanpur
4.	Bharatiya Ispat Mazdoor Sangh	—	Sh. Saroj Kumar Mitra	B.M.S. Office, Jaunalia Patti, Cuttack
5.	Bharatiya Jute Mazdoor Sangh	Sh. N.C. Ganguli	Sh. Baij Nath Roy	Marwari Kal, Nelson Rd, Hazari nagar, Distt 24 Pargana
6.	Bharatiya Khadan Mazdoor Sangh	Sh. Banarsi Das	Sh T.R. Jumde	1/57, Vidhayak Vishramgreh, Bhopal—3
7.	Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh	Sh. H.C. Kachwai, M.P.	Sh. Ram Prakash Mishra	2, Navin Market, Kanpur
8.	Bharatiya Parivahan Majdoor Sangh	Sh. H.C. Kachwai, M.P.	Sh. S.S. Chandrayan	75, Vivekanand Nagar, Nagpur—15
9.	Bharatiya Railway Mazdoor Sangh	Sh. H.C. Kachwai, M.P.	Sh. Amaldar Singh	33, Moti Bhawan, D'silva Rd. Dadar, Bombay—400028
10.	Bharatiya Sugar Mill Mazdoor Sangh	Sh. Sudhir Singh	Sh. G.D. Gupta	Mohalla Lajpat Rai, Shamli Distt. Muzaffarnagar (U.P.)
11.	Bharatiya Swayat Shasi Karmchari Sangh	Sh. Hans Dev Singh Gautam	Sh. O.P. Aghhi	19 Windsor Place, New Delhi—110001
12,	Bharatiya Vasterudyog Karmchari Maha Sangh	Sh. K.D. Pandey	Sh. H.K. Pathak	5239, Ajmeri Gaie, Delhi-110006
13.	National Organisation of Bank Workers	Sh. G.S. Gokhle	Sh. A.M. Puranik	Near Jathar Bldg. New Datta Mandir Marg, Itwari, Nagpur-2
14.	National Organisation of Insurance Workers	Sh. Bhav Narain	Sh. B.S. Dogra	9-B, Cawasji Patel Street, Room No. 27, Fort, Bombay—1

ANNEXTURE C

Meetings of Karya Samiti, Pratinidhi Sabha, Zonal Secys Gen. Secys of All India Industrial Federations

Karya Samiti

1. Kota	25, 26 Sept, 1972
2. Patna	12, 13, 14 Feb, 1973
3. Gwalior	10, 11 May, 1973
4. Mangalore	20, 21, 22 Sept, 1973
5. Delhi	26, 27, 28 Feb, 1974
6. Delhi (Emergent)	24, 25, 26, 27, 28 May, 1974
7. Delhi	29, 30 Aug, 1974
8. Rajkot	5, 6, 7 Jany, 1975

Maha Samiti Meeting

1. Gwalior	12, 13 May, 1973

All India Industrial feds. Gen. Secys Meeting

1. Delhi	19 July, 1973

Zonal Secys Meeting

1. Delhi	19, 20 Oct, 1974
2. Delhi	19, Feb, 1975

ANNEXTURE-D

B.M.S. REPRESENTATION

	Name of the Committee	Date & Place	Participants
1.	Seminar on Industrial Relations in the Public Sector	15, 16 Dec. 1972 New Delhi	1. Sh. G.S. Gokhle, Bombay 2. Sh. G. Prabhakar, Mangalore
2.	Seminar on Industrial Relations in the Public Sector	6, 7 Feb 1973 New Delhl	1. Sh. G.S. Gokhle, Bombay 2. Sh. O.P. Aghhi, Delhi
3.	Seminar on Workers in the National Family Planning Programme	22 Feb. 1973 New Delhi	1. Sh. Hari Krishan Pathak, Delhi 2. Sh. Ram Prakash Mishra, Kanpur
4.	National Symposium of Labour & Population Policies	15—18 April, 1974 New Delhi	1. Sh. G. Prabhaker, Mangalore 2. Sh. Raj Krishan Bhagat, Jullunder
5.	Workers Population Education—Workshops for trade Union Education Officers	18—27 Nov, 1974 1. Calcutta 2. Kanpur 3. Mangalore	1. Sh. R.B. Moitta, Calcutta 2. Shiv Nandan Prasad, Monghyer 3. Sh. Kedar Nath Nigam, Ravrkela 1. Sh. Sharad Ketker, Bhopal 1. Sh. H.A. Ranganath, Simoga (Krtk.) 2. Sh. K. Mahalingam, Madras 3. Sh. BK. Menon, Perumbavoor (Kerala)
6.	I.L.O. Asian Regional Seminar on National & International Labour Standards	20 Oct-8 Nov. 1974 New Delhi	observers 1. Sh. Govind Rao Athawle, Nagpur 2. Sh. Om Prakash Aghhi, Delhi
7.	I.L.O. Minimum Wage Committee	2, 3 Dec, 1974	1. Sh. Manhar P. Mehta, Bombay
8.	National Committee on Family Welfare Planning	29 April, 1975	1. Sh. Ram Prakash Mishra, Kanpur

ANNEXTURE E

STATEWISE UNIONS AND MEMBERSHIP ON 31 Dec., 1974.

S. No.	Name of Pradesh	No. of Unions	Membership
1.	Andhra Pradesh	57	38,000
2.	Assam	14	9,500
3.	Bihar	60	75,000
4.	Chandigarh	23	2,850
5.	Delhi	90	1,05,051
6.	Goa	1	600
7.	Gujarat	22	10,751
8.	Haryana	52	15,000
9.	Himachal Pradesh	12	6,000
10.	Jammu & Kashmir	7	2,750
11.	Karnatak	77	25,630
12.	Keral	34	3,600
13.	Madhya Pradesh	137	42,381
14.	Maharashtra	124	1,21,000
15.	Orissa	8	2,274
16.	Punjab	135	74,373
17.	Rajasthan	52	85,287
18.	Tamil Nadu	6	6,000
19.	Uttar Pradesh	258	1,14,251
20.	Vidarbha	52	39,000
21.	West Beggal	92	60,125
	Total	1,313	8,39,423